रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 2012/आश्विन 2, 1934

No. 478] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 24, 2012/ASVINA 2, 1934

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 712(अ).—केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 38क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें (संशोधन) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत और संकर्म लेखापाल क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें नियम, 2006 के नियम 2 के खंड (घ) में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 12/11/2011-पी आई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. 734(अ), तारीख 27 नवंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् सा.का.नि. 211(अ), तारीख 14 मार्च, 2011 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R. 712(E).— In exercise of the powers conferred by Section 38A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost and Works Accountants Procedure of Meeting of Quality Review Board and Terms and Conditions of Services and Allowances of the Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants Procedure of Meeting of Quality Review Board and Terms and Conditions of Services and Allowances of the Chairperson and Members of the Board (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Cost and Works Accountants Procedure of Meeting of Quality Review Board and Terms and Conditions of Services and Allowances of Chairperson and Members of the Board Rules, 2006, in clause (d), the Words "and Works" shall be omitted.

[F. No. 12/11/2011-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* No. 734(E), dated the 27th November, 2006 and subsequently amended *vide* G.S.R.211(E), dated the 14th March, 2011.

India Code

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 713(अ).- केन्द्रीय सरकार, लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 38क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागत और संकर्म लेखापाल (वृत्तिक और अन्य अवचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (च) में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 4 के उप-नियम (2) में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त नियमों के प्ररूप 1 में, क्रम संख्यांक 1 के सामने की विष्टि में "और संकर्म" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 12/11/2011-पी.आई]

मनोज कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 112(अ), तारीख 27 फरवरी, 2007 द्वारा प्रकाशित किए गए ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2012

G.S.R.713 (E).- In exercise of the powers conferred by Section 38A of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Cost and Works Accountants (Procedure of Investigation of Professionals and other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007 (hereinafter referred to as the said rules), in sub-rule (1) of rule 2, in clause (f), the words "and Works" shall be omitted.

3. In Rule 4 of the said rules, in sub-rule (2), the words "and Works" shall be omitted.

4. In FORM I of the said rules, in the entry against serial number 1, the words "and Works" shall be omitted.

[F.No. 12/11/2011-PI]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2007.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

IndiaCode